UPSR010005592023

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– राकेश धर दुबे, **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02008**

सेशन केस नं०-122/2023

राज्य ..... **अभियोगी**

बनाम

गंगाराम पुत्र सहजराम,

निवासी–भरथा बेलभरिया, थाना–को0 भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

.....**अभियुक्त**

अ0 सं0–80 / 2022
धारा–306 भा०दं०सं०
थाना–को0 भिनगा, जिला–श्रावस्ती

निर्णय

1– अभियुक्त **गंगाराम** का विचारण पुलिस थाना को0 भिनगा, जिला श्रावस्ती द्वारा मुकदमा अपराध सं0 80 / 2022 में विवेचना के उपरान्त प्रेषित आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 306 भा०दं०सं० के आधार पर किया गया। अभियुक्त का केस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती के न्यायालय द्वारा सत्र सुपुर्द किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः–वादी मुकदमा नन्द लाल ने दिनांक 06.03.2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली भिनगा को इस आशय की तहरीर / प्रार्थनापत्र **प्रदर्श क–1** दिया कि उसके पिता भभूती प्रसाद फेरी में कपड़ा बेचने का कार्य करते थे। गांव के ही गंगाराम पुत्र सहजराम अपने परिवार के लिए कपड़ा उधार में लिये थे। बकाया पैसा मांगने पर पूर्व में गंगाराम से वाद विवाद हुआ था तथा उसके पिता को एक दो थप्पड़ मारे भी थे। दिनांक 5.3.2020 को शाम को गंगाराम उसके पिता को अपने घर बुलवाये तथा गंगाराम व उनके भाई तिलकराम व विश्राम पुत्रगण सहजराम मिलकर काफी प्रताड़ित व बेइज्जत किये जिससे क्षुब्ध होकर उसके पिता ने पेड़ से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिये। सूचना दे रहा है अनुरोध है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की याचना की गयी।

3– वादी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना को0 भिनगा, जिला

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.03.12 15:57:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

श्रावस्ती में अभियुक्तगण गंगाराम, तिलकराम एवं विश्राम के विरूद्ध दिनांक 06.03.2020 को समय 19.15 बजे अपराध सं० 80/2020 अन्तर्गत धारा 306 भा0दं0सं0 के अपराध के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिसकी प्रवृष्टि सम्बन्धित कायमी मुकदमा जी0 डी0 में की गयी। संबंधित विवेचनाधिकारी द्वारा मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा संबंधित विवेचनाधिकारी ने आवश्यक अभियोजन साक्षीगण के बयान अंकित किये, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया एवं मामले से संबंधित आवश्यक विवेचना संपादित कर उपरोक्त अभियुक्त गंगाराम के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 306 भा०दं०सं० सम्बन्धित न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4– सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा मामले पर संज्ञान लिया गया। मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण अभियुक्त का उपरोक्त मामला सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया।

5– इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 11.04.2023 को उक्त अभियुक्त गंगाराम के विरूद्ध धारा 306 भा०दं०सं० के अपराध के सम्बन्ध में आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण की मांग की।

6– अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को, मौखिक साक्ष्य के रूप में न्यायालय में परीक्षित कराया गया और उनके द्वारा निम्न प्रदर्श को साबित किया गया है।

1–पी०डब्लू०–1 नन्द लाल वादी मुकदमा (साक्षी तहरीर प्रदर्श क–1 व पंचायतनामा प्रदर्श क–2)

2–पी०डब्लू०–2 राम बहादुर

3–पी०डब्लू०–3 सुन्दर लाल

4–पी0डब्लू0–4 राजेश कुमार पाण्डेय

5–पी0 डब्लू0–5 सूर्य लाल

6–पी0 डब्लू0–6 संजय कुमार मिश्र

7–पी0 डब्लू0–7 पंकज कुमार

8–पी0 डब्लू0–8 डा0 शरद अवस्थी

7– अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने साक्षियों द्वारा गलत बयान दिया जाना, स्वयं को निर्दोष होना तथा गलत तथ्यों के आधार पर विवेचना कर गलत आरोपपत्र प्रेषित किया। अतिरिक्त कथन में कहा है कि पुरानी रंजिश के कारण झूठा मुकदमा लिखा गया और झूठी साक्ष्य दी

गयी। उसे फर्जी फंसाया गया है।

8– अभियुक्त पक्ष की तरफ से अपनी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य/सफाई साक्ष्य में डी0 डब्ल्यू0 1 के रूप में परीक्षित कराया है।

9– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करके कथन किया गया कि अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के पिता को प्रताड़ित किया गया जिससे क्षुब्ध होकर उसके पिता ने पेड़ से लटककर अपनी जीवनलीला समाप्त कर दी। अभियोजन साक्ष्य से घटना पूर्णतया साबित है। तद्नुसार अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

10– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त निर्दोष है। वादी मुकदमा द्वारा बिना किसी ठोस आधार के अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है। अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोप साबित नहीं होता है। तद्नुसार अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

11– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध कराए गए समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया गया।

वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 306 के अधीन विरचित किया गया है। उक्त के संबंध में इस स्तर पर भा0दं0सं0 की धारा 107 एवं 306 का अवलोकन एवं उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

107. किसी बात का दुष्प्रेरण– वह व्यक्ति किसी बात के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो–

पहला–उस बात को करने के लिये किसी व्यक्ति को उकसाता है, अथवा

दूसरा–उस बात को करने के लिये किसी षडयंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षडयंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाये, अथवा,

तीसरा–उस बात के लिये किये जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 1–जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है, अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 2—जो कोई या तो किसी कार्य के किये जाने से पूर्व या किये जाने के समय, उस कार्य के किये जाने को सुकर बनाने के लिये कोई बात करता है और एतदद्वारा उसके किये जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।

धारा 306. आत्महत्या का दुष्प्रेरण—यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

इस स्तर पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **प्रकाश व अन्य बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र, दाण्डिक अपील—वर्ष 2024 सम्बन्धित एस0 एल0 पी (दाण्डिक संख्या) 1073/2023 निर्णय तिथि दिनांकित 20.12.2024 एवं रोहनी सुदर्शन बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र, दाण्डिक अपील—वर्ष 2024 सम्बन्धित एस0 एल0 पी (दाण्डिक संख्या) 13246/2023 निर्णय तिथि दिनांकित 10 जुलाई, 2024** का भी अवलोकन किया गया।

12क— अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में, **पी.डब्लू.1** के रूप में साक्षी नन्द लाल पुत्र भभूती प्रसाद, सा0 भरथा बेलभरिया, थाना को0 भिनगा, जनपद श्रावस्ती को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि उसके पिता भभूती प्रसाद साइकिल से फेरी का कपड़ा बेचने का काम करते थे। उसके गांव के ही गंगाराम पुत्र सहजराम ने उसके पिता से अपने परिवार के लिये कपड़ा उधार लिये थे उसके पिता ने जब उधारी पैसा मांगा तो उनको दो चार थप्पड़ मारे भी और दिनांक 05.03.2020 को शाम को गंगाराम ने उसके पिता को अपने घर बुलाया तथा वहां गंगाराम व उनके भाई तिलकराम व विश्राम मिलकर काफी बेइज्जत किये, प्रताड़ित किये व काफी गाली दिये। इससे क्षुब्ध होकर उसके पिता ने पेड़ से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उस दिन उसके पिता की काफी तलाश किया दूसरे दिन गांव के उत्तर जंगल में उसके पिता की लटकते हुये लाश मिली फिर उसने एक दरख्वास्त पोस्टमार्टम कराने हेतु उसी दिन दिया था जिसमें उसने लिखा था कि गंगाराम ने उसके पिता को बुलाया था उसी के बाद उसके पिता नहीं मिले। बाद में जब उनकी लाश मिली तब थाने जाकर उसी दिन एक लिखित प्रार्थनापत्र दिया जिस पर उसकी रिपोर्ट लिखी गयी जो पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए—3/3 है, जिस पर उसका हस्ताक्षर बना है प्रमाणित करता हूं इस पर **प्रदर्श क—1** डाला गया। साक्षी को तहरीर पढ़कर सुनायी गयी और दिखायी गयी उसने कहा की यही तहरीर उसने

थाने पर दिया था घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। मौके पर पुलिस वाले आ गये थे और लाश पेड़ से उतरवाकर पंचायतनामा कर सील मुहर कर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिये थे। पंचायतनामा की लिखा पढ़ी कर उसके हस्ताक्षर बनावाये थे। पंचायतनामा कागज संख्या ए–6/1 ता ए–6/3 साक्षी को दिखाया गया तो उसने उस पर बने अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया। इस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया।

12 ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि वह लिखा पढ़ा नहीं है वह किसी लिखी हुयी चीज को पढ़ नहीं सकता है और अपने हाथ से कुछ लिख भी नहीं सकता है। वह तीन भाई है। उसका भाई गिरधारी पढ़ा लिखा है। गिरधारी पांचवा पास है। गिरधारी बेलभरिया स्कूल से पढ़ा हुआ है। जब उसके पिता जी और मुल्जिम गंगाराम के बीच विवाद हुआ था तब वह मौके पर नहीं था लेकिन विवाद के बारे उसे जानकारी है उसके पट्टीदार पुत्तीलाल गोड़िया ने आकर उसके घर पर बताया था कि भभूती और गंगाराम के बीच विवाद हुआ है। पुत्तीलाल के अलावा और किसी आदमी ने उसके पिता व गंगाराम के बीच हुये विवाद के बारे में उससे या उसके घर पर किसी को नहीं बताया था। गंगारमा सड़क पर होटल खोले हैं उसके पिता भभूती व गंगाराम के बीच विवाद गांगारमा के होटल पर हुआ था। विवाद लगभग बारह–एक बजे दिन में हुआ था। उसके बाद उसके पिता भभूती व गंगाराम की मुलाकात हुयी कि नहीं वह नहीं जानता हैं पिता के विवाद के बाद उसकी गंगाराम से मुलाकात व बातचीत नहीं हुयी। होटल की घटना के समय वह भट्ठा पर था। भट्ठा से जब वह घर पर लौटकर आया तो उसके पिता जी घर पर नहीं थे। होटल की घटना के बावत उसने होटल पर जाकर किसी से कोई पूछतांछ नहीं की और न ही होटल के किसी आदमी ने मुझे होटल की घटना के बारे में बताया। होटल की घटना के पहले भी उसके पिता और गंगाराम के भाई के बीच विवाद था क्योंकि एक हाथ की चौड़ाई में उसका खेत गंगाराम के भाई कब्जा किये थे इस बात का भी विवाद चल रहा था। गंगाराम से व भभूती से पहले से कोई विवाद नहीं था और न ही पहले कोई लड़ाई झगड़ा था। सबसे पहली बार और सबसे आखिरी बार सिर्फ यही एक होटल का विवाद था। होटल पर हुये विवाद को लेकर उसके पिता ने अथवा उसने पुलिस विभाग अथवा अन्य किसी प्रशासनिक अधिकारी को कोई दरख्वास्त नहीं दिया था। होटल पर हुये विवाद के एक दिन बाद यह घटना घटित हुयी जिसके सम्बन्ध में वह बयान देने आया है। जब उसके पिता शाम को घर पर नहीं लौटे थे तो उसकी सूचना उसने थाने पर नहीं दिया था।

उसकी शादी हो गयी है। उसकी माता जी घर पर है। उसका एक भाई थोड़ा मंदबुद्धि का है और एक भाई का नाम गिरधारी है। गिरधारी के एक लड़की है उसके पिता कपड़े का व्यापार करते थे उसके पिता जी कपड़ा भिनगा से लेकर जाते थे और गांव गांव बेचते थे उसके पिता जी नकद व उधार भी कपड़ा बेचते थे कपड़े का व्यापार उसके पिता जी तीन चार साल से करते थे। तिलकराम और विश्राम गंगाराम के भाई है। गंगाराम के जिस भाई ने उसका खेत जोत लिया था उसका नाम कमलेश्वर हैं कमलेश्वर, तिलकराम व विश्राम का भी इस मुकदमें से मतलब है। गंगाराम व उनके भाईयों में से किसी ने उसके सामने उसके पिता से यह नहीं कहा कि जाओ वह पेड़ से लटक कर मर जाये व कभी गंगाराम उनके भाइयों ने उसके पिता को आत्महत्या करने के लिये ललकारा भी नहीं है। गवाह को पत्रावली में दाखिल कागज संख्या ए–3/3 (प्रदर्श क–1) दिखाकर पूछा गया कि इसमें लिखे गये तथ्य को पढ़ सकते हो तो गवाह ने स्वयं कहा कि वह नहीं पढ़ सकता है। इस कागज पर कहीं पर उसका टाप नहीं लगा है और न ही उसका हस्ताक्षर बना है। एफ0आई0आर0 उसने थाना में अपनी तरफ से नहीं लिखवाई थी उसके एक रिश्तेदार ने जिनका नाम वह नहीं जानता है, ने थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी थी। इस मुकदमें की घटना के सम्बन्ध उसने अपनी तरफ से कोई तहरीर थाने में नहीं दिया था। मार पीट की घटना के दूसरे दिन उसने अपने पिता की लाश को देखा था। लाश को सबसे पहली बार उसने भरथा चौकी पर देखा था, उस समय लाश सील बन्द नहीं थी बल्कि पेड़ में टंगी थी। यह चौकी उसके घर से थोड़ी दूरी पर हैं जब उसने लाश को देखा तो उस समय पूरा गांव था। सागौन के पेड़ से लाश लटकी थी। लाश मिलने की तारीख छः थी, महीना नहीं याद है। लाश के गले में रस्सी फंसी हुयी थी, रस्सी को उसने ही काटा था, रस्सी तहमल की थी। लाश को उतार कर जमीन पर रखा गया था उसके बाद पुलिस को सूचना किसने दिया उसको जानकारी नहीं हैं लाश को लेकर वे लोग थाने नहीं आये थे मौंके पर पुलिस आयी थी लेकिन किसके बुलाने पर आयी थी उसे जानकारी नहीं है। जब पुलिस गयी थी उस समय लाश ऊपर पेड़ पर टगी हुयी थी। उसने अपनी तरफ से कोई दरख्वास्त लाश मिलने से पहले या लाश मिलने के बाद किसी भी पुलिस अधिकारी को नहीं दिया। पत्रावली में दाखिल कागज संख्या ए–6/8 दिखाकर साक्षी से उस कागज पर अपने टाप दस्तखत के बारे में पूछा गया तो गवाह ने कहा कि कागज संख्या ए–6/8 पर न तो उसका निशानी अंगूठा बना है और न ही उसका इस कागज पर हस्ताक्षर बना है। यह कागज ए–6/8 किसके द्वारा लिखा गया है उसे इसकी जानकारी नहीं है उसे इस

बात की जानकारी नहीं है कि उसके पिता का कितना रूपया गंगाराम पर बकाया था और यह भी नहीं जानता है कि कितने दिन का बकाया था। उसे यह नहीं मालूम है कि किसी आदमी ने गंगाराम को उसके पिता की हत्या करने के लिये उकसाया या किसी के उकसाने से उसके पिता ने आत्महत्या की है।

पी0 डब्ल्यू0 1 वादी मुकदमा नन्द लाल जो मृतक भभूती प्रसाद का पुत्र है, ने अपने प्रति परीक्षा में स्पष्ट बयान दिया है कि गंगाराम व उनके भाइयों में से किसी ने उसके सामने उसके पिता से यह नहीं कहा कि जाओ वह पेड़ से लटक कर मर जाये व कभी गंगाराम, उनके भाइयों ने उसके पिता को आत्महत्या करने के लिये ललकारा भी नहीं है। इस साक्षी ने आगे प्रति परीक्षा में कथन किया है कि उसे यह नहीं मालूम है कि किसी आदमी ने गंगाराम को उसके पिता की हत्या करने के लिये उकसाया या किसी के उकसाने से उसके पिता ने आत्महत्या की है। यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं साक्षी के बयान से प्रथम सूचना रिपोर्ट/तहरीर भी संदिग्ध हो जाती है।

13क– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में, **पी.डब्लू.2 राम बहादुर** को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि उसका नाम बहादुर व राम बहादुर दोनों है उसे लोग बहादुर व राम बहादुर दोनों नाम से बुलाते है। उसके पिता का नाम लखन उर्फ राम लखन है। घटना आज से लगभग चार साल पहले की है। उसने सुना था कि भभूती प्रसाद व गंगाराम में झगड़ा हुआ था झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था उसे नहीं पता है। शाम को जब वह घर लौटकर आया तब पता चला कि भभूती प्रसाद घर से गायब हैं पुलिस वाले जब गांव में आये थे तब उसका कोई बयान नहीं लिया था।

13 ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि साक्षी को उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआर0पी0सी0 पढ़कर सुनाया गया जिसमें लिखा है कि *"दिनांक 05.03.2020 को समय करीब चार बजे शाम को गंगाराम पुत्र सहजराम निवासी भरथा बेलभरिया चाय की दुकान पर बैठा था कि भभूती पुत्र मंगल प्रसाद निवासी भरथा बेलभरिया भी आये चाय पिये बाद में दो सौ रूपया बकाया गंगाराम से मांगने को लेकर आपस में विवाद हुआ और गंगाराम ने भभूती को एक झापड़ मार दिया जिसके बाद भभूती वहां से चले गये मैं दुकान पर बैटा रहा। पन्द्रह मिनट के बाद मैं भी चला गया और अगले दिन पता चला कि भभूती प्रसाद ने आत्महत्या कर ली है। प्रश्न 1 क्या भभूती प्रसाद का तिलकराम व विश्राम पुत्रगण सहजराम निवासी भरथा बेलभरिया से कोई विवाद था। उत्तर नहीं, भभूती प्रसाद का तिलकराम व विश्राम पुत्रगण सहजराम निवासी भरथा बेलभरिया से कोई*

विवाद नहीं था केवल गंगाराम से ही विवाद था यही मेरा बयान है।" बयान सुनकर साक्षी ने कहा कि यह बात उसने दरोगा जी को नहीं बतायी थी कैसे लिख लिया उसका कारण वह नहीं बात सकता। गंगाराम उसके भाई लगते है। वह जाति का गोड़िया है और अभियुक्त गंगाराम जाति के ब्राह्ाण है। गंगाराम से उसका कोई झगड़ा बवाल नहीं है। घटना वाले दिन वह गंगाराम की दुकान पर चाय पीने के लिये नहीं गया था और न ही उसके सामने भभूती और गंगाराम का कोई झगड़ा हुआ था।

इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और पक्षद्रोही हो गया है। इस साक्षी ने अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में कहा है कि घटना वाले दिन वह गंगाराम की दुकान पर चाय पीने नहीं गया था और न ही उसके सामने भभूती और गंगाराम का कोई झगड़ा हुआ था।

14क– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में, **पी.डब्लू.3 सुन्दरलाल** को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि घटना को लगभग साढ़े चार साल हो रहे हैं। गंगाराम पुत्र सहजराम निवासी भरथा बेलभरिया उसके गांव में चाय की दुकान करते है। वह जब उनके दुकान पर चाय पीने गया था तो उसके सामने भभूती प्रसाद उनकी दुकान पर चाय पीने नहीं आये थे। उसे जानकारी नहीं है की भभूती प्रसाद, गंगाराम का रूपया बाकी था। भभूती प्रसाद फांसी लगाकर मर गये थे वह यह नहीं जानता कि भभूती प्रसाद किसलिये फांसी लगाकर मरे थे उसकी जानकारी में गंगाराम और भभूती प्रसाद के बीच पहले से कोई विवाद नहीं था। भभूती प्रसाद जब मरे थे तब उनकी लाश को देखने वह गया था। घटना के बाद पुलिस वाले गांव में जांच करने आये थे उससे भी पुलिस ने पूछतांछ किया था जो उसे जानकारी थी वह उसने उनको बतायी थी।

14 ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि उसकी जानकारी में गंगाराम ने भभूती प्रसाद को मारा पीटा नहीं था, न ही उनका भभूती से पहले से कोई विवाद था। उनकी आत्महत्या के पीछे उनके परिवार का अन्तरिक कलह भी हो सकता है या अन्य कोई वजह भी हो सकती है। उनकी जानकारी में यह नहीं है कि गंगाराम ने कभी भभूती का उत्पीडन किया हो या आत्महत्या के लिये उकसाया हो।

इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में इस आशय का कथन किया है कि वह जब उनके दुकान पर चाय पीने गया था तो उसके सामने भभूती प्रसाद उनकी दुकान पर चाय पीने नहीं आये थे। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि उसकी जानकारी में गंगाराम ने भभूती प्रसाद को मारा पीटा नहीं था, न ही उनका भभूती से

पहले से कोई विवाद था। उनकी आत्महत्या के पीछे उनके परिवार का अंतरित कलह भी हो सकता है या अन्य कोई वजह भी हो सकती है। उसकी जानकारी में यह नहीं है कि गंगाराम ने कभी भभूती का उत्पीड़न किया हो या आत्महत्या के लिए उकसाया हो।

15क– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में, **पी.डब्लू.4 राजेश कुमार पाण्डेय** को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि घटना को लगभग डेढ़ साल से ऊपर हो गया है। उस दिन गंगाराम के चाय की दुकान पर दिन करीब एक बजे चाय पी रहा था उसी दुकान पर भभूती पुत्र मंगल प्रसाद निवासी भरथा बेलभरिया भी आये और चाय पिये और चले गये और वह भिनगा चला आया। उसके सामने कोई झगड़ा नहीं हुआ था। भभूती प्रसाद को गंगाराम ने उसके सामने मारा नहीं था। उसके सामने पैसा मांगने के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं हुआ था इसके पहले कोई विवाद हुआ हो तो वह नहीं जानता है वह रात में जाकर घर सो गया था। सुबह पता चला कि भभूती प्रसाद ने आत्महत्या कर ली। वह भी लाश देखने गया था। वहां पर पुलिस वाले मौजूद थे व काफी भीड़ थी। घटना के बाद पुलिस वाले जांच करने आये थे। दरोगा जी ने उससे पूछतांछ किया था।

15 ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि गवाह को 161 सीआर0पी0सी0 का बयान पढ़कर सुनाया गया जिसमें लिखा है कि *"भभूती पुत्र मुगल प्रसाद निवासी भरथा बेलभरिया भी आये, चाय पिये बाद में दो सौ रूपये बकाया गंगाराम से मांगने के लेकर आपस में विवाद हुआ ओर गंगाराम ने भभूती को एक झापड़ मार दिया"* बयान सुनकर साक्षी ने कहा कि यह बात उसने अपने बयान में दरोगा जी को नहीं बतायी थी। दरोगा जी ने उसके बयान में यह तथ्य कैसे लिख दिया वह नहीं जानता है उसकी जानकारी में गंगाराम व भभूती के बीच पैसे के लेनदेन को लेकर कोई विवाद नहीं था और न उसकी जानकारी में गंगाराम ने भभूती को मारा ही था।

इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि भभूती प्रसाद को गंगाराम ने उसके सामने मारा नहीं था। उसके सामने पैसा मांगने के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं हुआ था। इसके पहले कोई विवाद हुआ हो तो वह नहीं जानता है। वह रात में जाकर घर सो गया था। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि उसकी जानकारी में गंगाराम व भभूती के बीच पैसे के लेनदेन को लेकर कोई विवाद नहीं था और न उसकी जानकारी में गंगाराम ने भभूती को मारा ही था।

16क– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में, **पी.डब्लू.5 सूर्यलाल** को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि घटना आज से चार

साल पहले की है। वह घटना वाले दिन गंगाराम पुत्र सहजराम निवासी ग्राम भरथा बेलभरिया के चाय की दुकान पर बैठा चाय पी रहा था। उसके सामने भभूती प्रसाद पुत्र मंगल प्रसाद निवासी भरथा बेलभरिया भी गंगाराम की दुकान पर आये और चाय पी। भभूती प्रसाद फेरी पर कपड़े बेचने का काम करते हैं और कपड़े का बकाया दो सौ रूपया उसके सामने गंगाराम से मांगे थे जिसके कारण गंगाराम व भभूती प्रसाद में आपस में वाद विवाद हुआ था। बाद में उसने सुना था कि गंगाराम ने भभूती प्रसाद को पैसे मांगने पर मारा था। वह चाय पीकर गंगाराम की दुकान से अपने घर चला गया था। दूसरे दिन पता चला कि भभूती प्रसाद ने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली हैं वह भभूती प्रसाद की लाश देखने नहीं गया था। पुलिस वाले बाद में जांच करने आये थे और उससे पूछतांछ किया था।

16 ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि नन्दलाल को वह जानता हूं। उनसे उसका कोई रिश्ता नहीं है। भभूती और गंगाराम के घर के बीच में लगभग पन्द्रह सोलह मकान है। गंगाराम व भभूती के बीच कभी कोई विवाद पहले से नहीं था। घटना के दिन वह भिनगा में था। उसके गांव के बाहर गंगाराम की चाय की दुकान है। घटना के दिन गंगाराम की चाय की दुकान पर करीब 5 बजे के आस पास बैठा था, उसके साथ चाय की दुकान पर भभूती के काका पुत्तीलाल भी साथ में बैठे थे और उस समय उसकी जान पहचान का कोई व्यक्ति मौके पर नहीं था। उसके सामने होटल पर किसी से भी कोई वाद विवाद नहीं हुआ था। उससे किसी ने यह बात नहीं बताया था कि गंगाराम व भभूती के बीच कपड़े को खरीदने को लेकर उधारी के सम्बन्ध में कोई विवाद रहा हो। उसकी जानकारी में गंगाराम व भभूती के बीच कोई मार पीट नहीं हुयी थी और न ही उससे किसी ने बताया कि गंगाराम ने भभूती को मारा पीटा वह इसका कोई कारण नहीं बता सकता है कि भभूती ने आत्महत्या क्यों की थी। विवेचक ने उससे कोई पूछतांछ नहीं किया था। गंगाराम के और भाइयों से तथा भभूती के बीच मेड़ को लेकर कोई विवाद नहीं था। उसकी जानकारी में गंगाराम बिल्कुल निर्दोष है और उन्हें गलत रूप से इस मुकदमें में फंसा दिया गया है।

इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि उसकी जानकारी में गंगाराम व भभूती के बीच कोई मारपीट नहीं हुई थी और न ही उससे किसी ने बताया कि गंगाराम ने भभूती को मारा पीटा। वह इसका कोई कारण नहीं बता सकता है कि भभूती ने आत्महत्या क्यों की थी। विवेचक ने उससे कोई पूछताछ नहीं किया था। गंगाराम व उसके भाइयों से तथा भभूती के बीच मेड़ को लेकर कोई विवाद नहीं था।

उसकी जानकारी में गंगाराम बिल्कुल निर्दोष है और उन्हें गलत रूप से इस मुकदमें में फंसा दिया गया है।

17क– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में, **पी.डब्लू. 6 संजय कुमार मिश्र कम्प्यूटर आपरेटर** को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि दिनांक 06.03.2020 को वह थाना को0 भिनगा में कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर कार्यरत था। उस दिन वादी मुकदमा नन्दलाल पुत्र भभूती प्रसाद ग्राम भरथा बेलभरिया थाना को0 भिनगा जनपद श्रावस्ती एक किता लिखित प्रार्थनापत्र अपना हस्ताक्ष किया हुआ लेकर उसके सामने आये थे जिस पर थाना प्रभारी के निर्देश पर उसकसे द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 80/2020 अन्तर्गत धारा 306 भा0द0स0 थाना भिनगा जनपद श्रावस्ती पंजीकृत कर उसका कम्प्यूटरीकृत किया था जो चिक एफ0आई0आर0 कागज संख्या ए–3/1 ता ए–3/2 देखकर साक्षी ने बताया कि वहीं चिक एफ0आई0आर0 है जो उसके द्वारा कम्प्यूटरीकृत की गयी थी, प्रमाणित करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया और मुकदमें की कायमी जी0 डी0 भी उसके द्वारा कम्प्यूटरीकृत की गयी थी जो पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–4 को देखकर साक्षी ने प्रमाणित किया जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। प्रदश क–1 देखकर साक्षी ने बताया कि यही दरख्वास्त वादी नन्दलाल लेकर आया था जिसे पढ़कर सुनाया भी गया था। जिसको सुनकर उसने कहा था कि यही घटना हुयी थी विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

17 ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना की प्रथम सूचना रपोर्ट उसके द्वारा लिखी गयी। इस मुकदमें का वादी मुकदमा कौन है। इस समय याद नहीं है फिर कहा कि नन्दलाल है। नन्दलाल मृतक का लड़का है। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसने दिनांक 06.03.2020 को अंकित की थी। घटना किस तिथि की थी, याद नहीं है जो प्रार्थनापत्र तहरीर के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के रूप में दिया गया था, उसमें घटना की तारीख व समय अंकित था। एफ0आई0आर0 दर्ज करने के लिये दिये गये प्रार्थनापत्र के अतिरिक्त अन्य कोई प्रार्थनापत्र इसके पूर्व प्राप्त नहीं हुआ था। जी0डी0 में विवेचक के नाम का उल्लेख किया था। गवाह को प्रदर्श क–4 जी0डी0 दिखाकर पूछा गया तो गवाह ने बताया कि मुकदमें की विवेचना पंकज कुमार एस0आई0 को दी गयी थी। विवेचक को विवेचना के समय नकल चिक, नकल रपट और मूल तहरीर दी गयी थी। गवाह ने प्रदर्श क–4 जी0डी0 को देखकर बताया कि विवेचक को दिये जाने वाले अभिलेखों में नकल चिक व नकल रपट का उल्लेख है और तहरीर देने का उसने

कोई उल्लेख नहीं किया है। उसके द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गयी है, उसमें घटना का समय उसने नहीं लिखा है। गवाह को प्रदर्श क–1 तहरीर को दिखाया गया तो गवाह ने बताया कि जो तहरीर संलग्न पत्रावली है, उसमें समय अंकित नहीं है। तहरीर जो उसे दी गयी थी, वह कहीं कटी फटी या ओवर राइटिंग थी या नहीं मुझे याद नहीं है। तहरीर पर जो दिनांक अंकित है, वह देखने पर दिनांक 05.03.2020 प्रतीत हो रहा है तहरीर प्रदर्श क–1 को देखकर गवाह ने बताया कि घटनास्थल का गांव नहीं लिखा है। घटना की तहरीर 7.15 बजे उसे प्राप्त हुयी थी। जी0डी0 में विवेचना देने के समय का उल्लेख नहीं है।

यह औपचारिक साक्षी है। इस साक्षी द्वारा अभियोजन प्रपत्र एफ0 आई0 आर0 व कायमी जी0 डी0 को साबित किया गया है।

17क– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में, **पी.डब्लू. 7 पंकज कुमार वरिष्ठ उप निरीक्षक** को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि दिनांक 06.03.2020 को वह थाना को0 भिनगा जनपद श्रावस्ती में उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त था। उस दिन थाना को0 भिनगा मु0अ0सं0 80/2020 अन्तर्गत धारा 302 भा0द0स0 विरूद्ध गंगाराम, तिलकराम, विश्राम पंजीकृत होकर विवेचना उसे सुपुर्द हुयी थी। वह उस दिन माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल करने गया था। वहां से लौटने पर विवेचना ग्रहण कर उसने दिनांक 09.03.2020 को पर्चा न01 किता किया गया जिसमें नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन कर सीडी में अंकन किया तथा बयान वादी नन्दलाल अंकित किया तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–5 नक्शानजरी को देखकर कहा कि यह उसके द्वारा तैयार किया है, जिस पर उसका हस्ताक्षर बना है, जिसे वह प्रमाणित करता है, जिस पर **प्रदर्श क–5** अंकित किया गया। दिनांक 12.03.2020 को पर्चा न02 किता किया गया जिसमें पी0एम0 रिपोर्ट का अवलोकन कर उसका अंकन सीडी में किया। दिनांक 19.03.2020 को पर्चा न03 किता किया गया जिसमें अभियुक्त गंगाराम की गिरफ्तारी कर उसका बयान अंकित किया। दिनांक 12.04.2020 को पर्चा न0 6 किता किया जिसमें गवाह बहादुर, राजेश कुमार पाण्डेय व सुन्दरलाल यादव का बयान अंकित किया। दिनांक 19.04.2020 को पर्चा न0 8 किता किया जिसमें गवाह सूर्यलाल पुत्र बेचू दयाल का बयान अंकित किया। इस प्रकार अब तक की तमाम विवेचना, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल के आधार पर अभियुक्त गंगाराम पुत्र सहजराम के विरूद्ध जुर्म धारा 306 भा0द0स0 का अपराध बखूबी प्रमाणित पाते हुये अभियुक्त गंगाराम के विरूद्ध आरोप पत्र ए–101 दिनांक 19.04.2020 को माननीय न्यायालय

प्रेषित किया गया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–7/1 ता ए–7/3 आरोप पत्र को देखकर कहा कि यह उसके द्वारा तैयार किया गया जिस पर उसका हस्ताक्षर बना है जिसे वह प्रमाणित करता है। जिस पर **प्रदर्श क–6** अंकित किया गया। उसी दिन उसने पूरक पर्चा न01 किता किया जिसमें बयान लेखक एफ0आई0आर0 हे0 का0 संजय मिश्रा, बयान गवाह जय प्रकाश, भाई लाल व बयान पंचायतनामा गवाह नन्द लाल, गिरधारी लाल, जगदीश प्रसाद, सुरेश कुमार व जयकरन अंकित किया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न प्रदर्श क–2 पंचायतनामा को देखकर कहा कि यह उसके साथ तैनात उप निरीक्षक शिव कुमार द्वारा तैयार किया गया है, जिस पर उनका हस्ताक्षर बना है, जिसे वह प्रमाणित करता है। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–6/4 पत्र सी0एम0ओ0 कागज संख्या ए–6/5 फोटोनाश, कागज संख्या ए–6/6 पुलिस प्रपत्र संख्या 33, कागज संख्या ए–6/9 चालान नाश को देखकर कहा कि यह प्रपत्र भी उप निरीक्षक शिव कुमार द्वारा तैयार किये गये है जिन पर उनके हस्ताक्षर बने हैं, जिन्हें वह प्रमाणित करता है जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–7, प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9, प्रदर्श क–10** अंकित किया गया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–6/8 प्रार्थनापत्र पोस्टमार्टम कराये जाने के सम्बन्ध में, को देखकर कहा कि यह प्रार्थनापत्र वादी मुकदमा द्वारा थाना को0 भिनगा में किया गया था जो उसे दौरान विवेचना प्राप्त हुआ था जिसे वह प्रमाणित करता है जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया।

17 ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि मुकदमें की विवेचना उसे दिनांक 09.03.2020 को मिली थी। विवेचना के साथ में उसे एफ0आई0आर0 की कापी मिली थी इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रपत्र नहीं मिले थे। पहला पर्चा दिनांक 09.03.2020 को उसके द्वारा काटा गया था। साक्षी ने स्वयं कहा कि वह केस डायरी देखकर बता पायेगा की किन किन गवाहों का बयान उसने पर्चा न01 में किता किया था। उसने जीडी का अवलोकन किया था। जीडी तत्कालीन हे0 का0 कम्प्यूटर आपरेटर संजय मिश्रा के द्वारा लिखी गयी थी। नकल चिक व नकल रपट का उल्लेख उसने पर्चा न01 में किया था। मृतक भरथा बेलभरिया का निवासी था। मृतक कपड़े की फेरी लगाता था। दौरान विवेचना उसके द्वारा मृतक के द्वारा कपड़े के लेन देन के सम्बन्ध में उसने कोई अभिलेखीय साक्ष्य को संकलित नहीं किया था और न ही इस सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य मिला था। घटना के पूर्व मृतक या उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा किसी भी अभियुक्त या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध लड़ाई झगड़ा या मार पीट होने के सम्बन्ध

में या पैसे के लेन देन के सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थनापत्र उसकी जानकारी में थाने पर नहीं दिया गया था। दौरान विवेचना मौखिक रूप से यह पूछा गया था कि प्रथम सूचक का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या विवाद या रंजिश के सम्बन्ध में कोई शिकायती प्रार्थनापत्र पूर्व में किसी अधिकारी को दिया गया था तो प्रथम सूचक द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायती प्रार्थनापत्र इस उपनिरीक्षक को उपलब्ध नहीं कराया गया था। प्रथम सूचक ने उसे दौरान विवेचना पूछंताछ के दौरान अपने पिता के लेन देन के सम्बन्ध में कोई भी हिसाब या बकायेदार के बारे में कोई लिखित प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराया था। मृतक की लाश का पंचायतनामा हुआ था और इसका पोस्टमार्टम भी कराया गया था। पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर का बयान नहीं लिया था। मृतक के कोई बाह्य चोट नहीं थी। घटना पांच तारीख के रात की है। तहरीर में घटना का समय अंकित नहीं है। उसे जानकारी नहीं है कि जिस दिन की घटना है उस दिन थाने में कोई तहरीर दी गयी थी की नहीं। मुझे याद नहीं है की विभूतीनाथ के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। विभूतीनाथ के परिवार के सदस्यों में आपस में सामजस्य था या नहीं इस सम्बन्ध में विवेचना नहीं की गयी थी, उनके परिवार में कोई अन्तरकलह थी या नहीं इस सम्बन्ध में भी विवेचना नहीं की गयी थी। विभूतीनाथ के कितने लड़के थे तत्कालीन समय उसे पता था लेकिन अब नहीं बता पाऊंगा विभूतीनाथ किसके साथ रहते थे अब उसे नहीं बता पाउंगा। विभूतिनाथ का अपने लड़कों व परिवार के बीच में कैसा सम्बन्ध था इस सम्बन्ध में लिखा पढ़ी में कोई विवेचना उसने नहीं किया था और विभूतीनाथ अपने लड़को से अलग रहते थे या उनके साथ में रहते थे इसके सम्बन्ध में भी उसने कोई विवेचना नहीं की थी।

प्रश्न–विभूतीनाथ के रिश्तेदारों का बयान घटना के सम्बन्ध में आपने क्यों नहीं लिया?
उत्तर– साक्षी ने खुद कहा कि बयान हेतु भलाई बुराई के डर से नहीं दिये किसने बयान नहीं दिया नाम मुझे नहीं याद है। विभूतीनाथ के किन किन रिश्तेदारों के यहां बयान लेने के लिये वह गया उनका नाम व पता केस डायरी में उल्लेख नहीं किया है इस मुकदमें में नक्शानजरी उसके द्वारा बनाया गया है। जहां झगड़ा हुआ था उस स्थान का उसके द्वारा कोई नक्शानजरी नहीं बनाया गया था। झगड़े वाले स्थान का निरीक्षण करने के सम्बन्ध में उसने कोई उल्लेख केस डायरी में नहीं किया है उसने इस बात का भी केस डायरी में कोई उल्लेख नहीं किया है कि झगड़े वाले स्थान का निरीक्षण उसने किसके साथ जाकर किया था।

प्रश्न– मृतक से जिस स्थान पर झगड़ा होने की बात बतायी गयी है उस स्थान के सम्बन्ध में आपके द्वारा विवेचना करके केस डायरी में उसका उल्लेख क्यों नहीं किया

गया? उत्तर– झगड़े वाले स्थान का नक्शानजरी नहीं बनाया गया है।

यह औपचारिक साक्षी है तथा मामले के विवेचक हैं। इस साक्षी द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया गया है। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि झगड़े वाले स्थान का निरीक्षण करने के सम्बन्ध में उसने कोई उल्लेख नहीं किया है। विवेचक ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा घटना के कारण अर्थात् रूपये को लेकर हुए विवाद के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था और न ही उसे विवेचना के दौरान ऐसा कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ था। यह भी स्वीकार किया है कि वादी मुकदमा द्वारा विवेचना अथवा पूछताछ के दौरान लेन देन के संबंध में कोई हिसाब या बकायेदार के बारे में कोई लिखित प्रपत्र नहीं उपलब्ध कराया था। इस प्रकार घटना का हेतुक भी संदिग्ध हो जाता है।

17क– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में, **पी.डब्लू. 8 डा0 शरद अवस्थी** को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि दिनांक 06.03.2020 को वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भिनगा जनपद श्रावस्ती में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था उस दिन उनकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस भिनगा में पोस्टमार्टम हेतु लगी थी। उस दिन उसने मृतक भभूती प्रसाद उम्र 50 वर्ष पुत्र मंगल प्रसाद निवासी ग्राम भरथा बेलभरिया थाना को0 भिनगा जनपद श्रावस्ती के शव का पोस्टमार्टमकिया था जिसे उसके समक्ष सी0पी0 आदर्श वाजपेयी पी0एन0ओ0 192711890 तथा सी0पी0 जय शंकर प्रसाद पी0एन0ओ0 192712503 थाना को0 भिनगा के द्वारा लाया गया था। मृतक की ऊंचाई 160 सेमी0, शरीर की बनावट मध्य तथा अच्छी काठी का था। मृतक के शरीर पर हल्की गुलाबी रंग की कमीज, सफेद रंग की बनियान भूरे रंग की जांघिया तथा दाहिने हाथ की कलाई में सफेद/काले रंग का धागा था। शव विच्छेदन के समय मृतक के दोनों हाथों तथा दोनों पैरो में अकड़न (Rigour Mortis) थी। मृतक के दोनों आंखे तथा मुंह बन्द थे और जीभ मुंह के अन्दर थी। सभी नाखून intact थे।

<u>बाह्य परीक्षण–</u>

परीक्षण के दौरान मृतक के शरीर पर निम्न मृत्यु पूर्व चोटें पायी गयीं–

चोट न0 1– मृतक के गर्दन पर फंदे का निशा (ligature mark) जिसका आकार 35 गुणे 03 सेमी0 around neck (infront to back) तथा 06 सेमी0 ठोढी से नीचे था तथा 4.5 सेमी0 बायें कान स नीचे तथा दाहिने कान से 05 सेमी नीचे थे।

चोट न0 2– मृतका के शरीर पर (ligature mark) के अलावा अन्य कोई चोट के निशान नहीं पाये गये।

<u>आन्तरिक चोट–</u>

After cutting ligature mark white hard and glistening tissue persent Hyoid bone-intact.

Pleura- congested , both lungs congested with Patches of haemorrhage. हृदय का दाहिना चैम्बर भरा था बाया खाली था। पेट में लगभग 150 ग्राम से 200 ml semisolid foodmaterial पाया गया था छोटी आंत में Pasty material तथा बड़ी आंत में मल व गैसे पायी गयी। लीवर, प्लीहा व दोनों किडनी Conjusted पायी गयी। मूत्राशय खाली था।

अभिमत–

मृतक की मृत्यु का समय 01 दिन के अन्दर का था। मृतक की मृत्यु का तात्कालिक कारण Asphyxia (दम घुटने) के कारण थी जो कि मृत्यु पूर्व Hanging (Antimortem hanging) के कारण हुयी थी।

साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–6/10 पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर कहा कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके हस्तलेख में है जिस पर उसका हस्ताक्षर है जिसे वह प्रमाणित करता है जिस पर **प्रदर्श क–12** अंकित किया गया।

17 ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि मृतक के शरीर पर फांसी के फन्दे के निशान के अतिरिक्त और कोई बाहरी चोट नहीं पायी गयी थी। मृतक की मृत्यु दम घुटने से हुयी थी। मृतक के दोनों हाथ व दोनो पैरों में अकड़न एवं पूरे शरीर में मृत्यु पश्चात अकड़न पायी गयी। अकड़न मृत्यु के लगभग 12 घंटे बाद आ जाती है, लगभग 12 घंटे बाद अर्थात् मृत्यु के 24 घंटे तक बनी रहती है।

इस साक्षी द्वारा मृतक भभूती प्रसाद की शव विच्छेदन आख्या को अपने लेख व हस्ताक्षर में कहते हुए प्रदर्श क–12 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि मृतक के शरीर पर फांसी के फंदे के निशान के अतिरिक्त और कोई बाहरी चोट नहीं पायी गयी थी। यद्यपि कि इस साक्षी के साक्ष्य से एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–12 से मृत्यु का कारण आत्महत्या होना प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट है परन्तु अन्य पुष्टिकारक साक्ष्यों से इस बात की पुष्टि होना आवश्यक है कि मृतक द्वारा आत्महत्या अभियुक्त की प्रताड़ना से व्यथित होकर की गयी है।

तथ्य के साक्षी गण में अभियोजन साक्षी सं0 1 नन्द लाल द्वारा अपने पिता भभूती प्रसाद को अभियुक्त गंगाराम द्वारा आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने से इंकार किया गया है। अभियोजन साक्षी सं0 2 राम बहादुर पक्षद्रोही हो गया है और उसने

अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी सं0 3 सुन्दर लाल ने अपने प्रति परीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि उसकी जानकारी में यह नहीं है कि गंगाराम ने कभी भभूती का उत्पीड़न किया हो या आत्महत्या के लिए उकसाया हो। अभियोजन साक्षी सं0 4 राजेश कुमार पाण्डेय ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि उसकी जानकारी में गंगाराम व भभूती के बीच पैसे के लेनदेन को लेकर कोई विवाद नहीं था और न उसकी जानकारी में गंगाराम ने भभूती को मारा ही था। अभियोजन साक्षी सं0 5 सूर्य लाल ने प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि गंगाराम व उसके भाइयों तथा भभूती के बीच मेड़ को लेकर कोई विवाद नहीं था। उसकी जानकारी में गंगाराम बिल्कुल निर्दोष हैं।

विधि व्यवस्था **सीताराम सेठ बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 2014(85) ए सी सी पेज 182** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अवधारित किया गया है कि अभियोजन कथानकों को विश्वसनीय साक्षियों से साबित कराने का भार सदैव अभियोजन पक्ष पर रहता है।

अनेकों विधि व्यवस्थाओं में यह भी अवधारित किया गया है कि अभियोजन को अपना वाद खुद साबित करना होता है तथा वह यह आधार नहीं ले सकता कि विपक्षी की प्रतिरक्षा में कमियों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन कथानक साबित है।

इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 306 भा0दं0सं0 के अवयवों का गठन नहीं होता है।

इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये उपरोक्त समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, प्रश्नगत अभियुक्त गंगाराम के विरूद्ध प्रश्नगत आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 306 भा०दं०सं० साबित होना नहीं पाया जाता है, जिसके कारण अभियुक्त गंगाराम आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 306 भा०दं०सं० दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **गंगाराम को भा०दं०सं० की धारा 306 भा०दं०सं० के आरोपित आरोप में, दोषमुक्त किया जाता है।**

अभियुक्त जमानत पर है, उसके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किए जाते हैं तथा उसके प्रतिभूगण को, उनके दायित्वों से, उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त धारा 437क दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं उसी धनराशि की दो जमानतें 15 दिवस के अन्दर न्यायालय में दाखिल करेगा।

दिनांकः 12.03.2026

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

निर्णय, आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 12.03.2026

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती